भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त का कार्यालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.No.SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/ Dated:06-03-2025 37388

परिपत्र सं. श्रम/11/2024

विकास आयुक्त, सेज़ को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार व्दारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेज़ों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन प लागू किए जाने तथा उनका उल्लंधन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। आज की तारीख में सीप्ज (इलेट्रोनिक्स) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनाक 01.01.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता).

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	₹.12605	₹.11445	₹.10350
विशेष भता	₹. 3100	₹. 3100	₹. 3100
कुल	₹.15705	₹. 14545	₹.13450
मकान किराया भता (5%)	₹. 785	₹. 727	₹. 672
न्यूनतम मजद्री	₹.16490	₹. 15272	₹.14122

2.दुकाने तथा प्रतिष्टान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	₹.11632	₹.10856	₹.10021
विशेष भता	₹. 3614	₹. 3614	₹. 3614
कुल	₹.15246	₹.14470	₹.13635
मकान किराया भत्ता (5%)	₹. 762	₹. 723	₹. 682
न्यूनतम मजदूरी	₹.16008	₹.15193	₹.14317

3.सीप्ज(इलेट्रोनिक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजद्री	₹. 6300	₹. 5800	₹. 5300
विशेष भता	₹. 6697	₹. 6697	₹. 6697
कुल	रु. 12997	₹.12497	₹.11997
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 650	₹. 625	₹. 600
न्यूनतम मजद्री	रु. 13647	₹.13122	₹.12597

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष- 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्टरों की फोटो क़ापीया मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्टरों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Signed by Bridget Joe

Date: 06,63-2025,10:53:46

वि.आ.का.स, श्रम अनुभाग प्रभारी सीप्ज-सेज़ भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त का कार्यालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India

Ministry of Commerce & Industry

Office of the Development Commissioner

SEEPZ Special Economic Zone

Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.No. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/3-128 Dated: 06-03-2025

CIRCULAR NO./LAB/11/2025

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. Further this power has been delegated to Deputy Development Commissioner by Development Commissioner vide Office Order No. 199/200 dated 16.10.2020. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01.01.2025 to 30.06.2025)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
Special Allowance	Rs. 3100	Rs. 3100	Rs. 3100
Total	Rs. 15705	Rs. 14545	Rs. 13450
HRA (5%)	Rs. 785	Rs. 727	Rs. 672
Minimum Wages	Rs. 16490	Rs. 15272	Rs. 14122

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
Special Allowance	Rs. 3614	Rs. 3614	Rs. 3614
Total	Rs. 15246	Rs. 14470	Rs. 13635
HRA (5%)	Rs. 762	Rs. 723	Rs. 682
Minimum Wages	Rs. 16008	Rs. 15193	Rs. 14317

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 6697	Rs. 6697	Rs. 6697
Total	Rs. 12997	Rs. 12497	Rs. 11997
HRA (5%)	Rs. 650	Rs. 625	Rs. 600
Minimum Wages	Rs. 13647	Rs. 13122	Rs. 12597

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1^{st} January and 1^{st} July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.

This issues with the approval of Competent Authority.

Signed by Bridget Joe

Date: 06-03-2025 10:52:48

वि.आ.का.स, श्रम अनुभाग प्रभारी सीप्ज-सेज़